

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ-2043/2018/

दिनांक :

—:: आदेश ::—

श्री राकेश मीना, नर्स श्रेणी द्वितीय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक 1262 दिनांक 13.6.2017 द्वारा तुरन्त प्रभाव से राज्यसेवा से निलम्बित किया गया था, को निलम्बन के 6 माह पूर्ण होने की तिथि से राजस्थान सेवा नियम-53 (1) (क)(I) में उपलब्ध प्रावधानानुसार पूर्व में प्राप्त कर रहे निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप श्री राकेश मीना, नर्स श्रेणी द्वितीय को अब वेतन का 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

  
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर।

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ-2043/2018/11

दिनांक : 1-1-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, रामु. स्वा. केन्द्र, मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर)
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग/डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री राकेश मीना, श्रेणी द्वितीय (निलम्बित) द्वारा क्रम संख्या-3
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर।